राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0,

जी–1/138, मालवीय औद्योगिक क्षैत्र, जयपुर–302017

E-mail- raj_coop_press@yahoo.co.in **Website** – www. thecooperativepress.com

कागज निविदा विवरण

मुद्रणालय द्वारा वर्ष 2023–24 की (अनुबंध की तिथि से 31.03.2024) अवधि के लिये समय–समय पर आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के कागज क्रय हेतु निम्नानुसार (निर्धारित निविदा प्रपत्र में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन ई प्रोक्योरमैन्ट टू बिड पद्धति द्वारा) निविदायें आंमत्रित की जाती हैः–

(सभी राशियां रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	
1	अनुमानित राशि	रु. 2000.00 लाख
2	बोली प्रतिभूति	रू. 40.00 लाख
3	बिड शुल्क	रु. 1000.00
4	प्रोसेसिंग फीस	रु. 2500.00
5	ऑनलाईन बिड प्रकाशन की तिथि	28.4.2023
6	वेबसाईट पर बिड प्रकाशन की तिथि	28.4.2023
7	बिड सबमिशन प्रारम्भ तिथि एवं समय	28.4.2023 को प्रातः 10.00 बजे से
8	बिड सबमिशन समाप्ति तिथि एवं समय	8.5.2023 को सायं 5.00 बजे तक
9	बोली प्रतिभूति राशि, प्रोसेसिंग व टेण्डर फीस के मूल डीडी मुद्रणालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	9.5.2023 को प्रातः 11.00 बजे तक
10	तकनीकी बिड खोलने की तिथि व समय	9.5.2023 को दोपहर 12.00 बजे

1. बिड शुल्क, अमानत राशि राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय एवं प्रोसेसिंग शुल्क रू. 2500 का डिमांड ड्राफ्ट MD RISLके नाम डीडी द्वारा जमा करवाना होगा।
2. बिड/निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण व शर्तें वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in, sppp.rajasthan.gov.in एवं मुद्रणालय की वेबसाईट www.thecoorperativepress.com पर उपलब्ध है। बिड/निविदा वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जानी है।
3. बिड/निविदा के सम्बन्ध में अन्य जानकारी इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में ली जा सकती है।
4. बोलीदाता सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अनुसार डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं इलेक्ट्रोनिक्स बिड में उक्त हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। बिना डिजीटल हस्ताक्षर कोई भी बिड ऑफर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
6. जिन निविदादाताओं द्वारा उक्त निविदा के लिए पूर्व में (वर्ष 2023–24) बोली प्रतिभूति राशि जमा कराई हुई है, उन्हें पुनः बोली प्रतिभूति राशि जमा नहीं करानी है।

प्रबन्ध निदेशक

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0

जी–1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

<u>वर्ष 2023–24 की अवधि के लिये कागज क्रय हेतु दर संविदा</u>

मुद्रणालय को वर्ष 2023–24 की (अनुबंध तिथि से 31.03.2024 तक) अवधि के लिए वुड/वर्जिन पल्प से निर्मित विभिन्न प्रकार के कागज क्रय हेतु बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेण्ट/वास्तविक विक्रेता से दर संविदा हेतु आनलाईन ई प्रोक्योरमैन्ट प्रक्रिया से टू बिड्स पद्धति से बिड्स दिनांक 8.5.2023 को सायं 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। टू बिड पद्धति से बिड्स (तकनीकी एवं वित्तीय) मय मूल प्रपत्र, बिड्स शर्तो (परिशिष्ट ''अ'' से ''स'') का मुद्रणालय की वेबसाईट www.thecooperativepress.com व eproc.rajasthan.gov.in व sppp.rajasthan.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है। तकनीकी निविदा (प्रपत्र'अ') तथा वित्तीय बिड् प्रपत्र–ब में वेबसाईट eproc. rajasthan.gov.in पर सम्बधित दस्तावेजों सहित पूर्णतया भरी हुई PDF Format में अपलोड करनी होगी। विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

Bidders who wish to participate in online tenders should have legally valid Digital Certificate as per Information Technology Act 2000 procured through any of the licence certifying Authority of India using which they can sign their electronic bids.

प्राप्त बिड्स के प्रस्तावों में तकनीकी बिड को उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष दिनांक 9.5.2023 को दोपहर 12.00 बजे खोला जायेगा। तकनीकी बिड में सफल बोलीदाता की ''वित्तीय बिड'' को ही खोला जायेगा। किसी भी बिड या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार मुद्रणालय को होगा तथा इस संबंध में मुद्रणालय का निर्णय ही अन्तिम व मान्य होगा। बोलीदाता द्वारा बिड्स प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह होगा कि समस्त शर्तें बोलीदाता को स्वीकार है। ***बिड के साथ दो प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि बिड प्रपत्र में अंकितानुसार डीडी/बैंकर्स चैक/नकद/किसी अनुसूचित बैंक की गारन्टी, जोकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 42 में वर्णित हैं, द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर के पक्ष में जमा करानी होगी।*** राजस्थान उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को बोली प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लघु उद्योग संबंधी प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति बिड के साथ अपलोड करनी होगी। इस प्रकार की इकाई को बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि ***मुद्रणालय में उक्त वर्णित तरीको से किसी एक द्वारा*** मुद्रणालय के पक्ष में जमा करानी होगी इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी। ***जिन निविदादाताओं द्वारा बोली प्रतिभूति पूर्व निविदा (वर्ष 2023–24) के साथ जमा करवाई जा चुकी है उनकी बोली प्रतिभूति राशि का समायोजन इस निविदा में कर लिया जावेगा।*** बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। सफल बोलीदाता को सामग्री के मूल्य के 2.5 प्रतिशत के बराबर या तत्समय लागू दर पर नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को सामान के मूल्य के 0.5 प्रतिशत के बराबर तत्समय लागू दर पर नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा लिखित करार (अनुबन्ध) करना होगा। अन्य कोई सूचना प्राप्त करनी हो तो उक्त सबंध में संस्था के फोन 0141–2751417 एवं ई–मेल : raj_coop_press@yahoo.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।

बिड अनुबंध की वैधता अवधि अनुबंध होने की तिथि से 31.03.2024 तक होगी। मुद्रणालय प्रशासन को अनुबंध अवधि समाप्त होने से पूर्व अनुबंध को खत्म करने का अधिकार होगा। इसमें किसी भी तरह का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

संलग्न : बिड प्रपत्र एवं शर्ते

प्रबन्ध निदेशक

प्रपत्र ''अ''

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0,
जी–1/138, मालवीय औद्योगिक क्षैत्र, जयपुर

वर्ष 2023–24 की अवधि के लिये कागज आपूर्ति हेतु बिड प्रपत्र प्रथम ''तकनीकी बिड''

1. बिड प्रपत्र मूल्य रू. 1000/– (Non Refundable) द्वारा डी.डी. सं0 .... दिनांक ....
2. बिड सबमिशन समाप्ति की दिनांक 8.5.23 को सायं 5.00 बजे तक
3. तकनीकी बिड खोलने की दिनांक 9.5.23 को दोपहर 12.00 बजे
4. बिड का अनुमानित मूल्य 20.00 करोड़ रूपये

(सभी कॉलम की पूर्ति करना अपेक्षित है)

1. बोलीदाता का नाम व पूर्ण पता..

....

बोलीदाता फर्म का कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला का पूर्ण पता ....

....

फोन नं. ....ई–मेल ....मोबाइल नं. ....

1. बिड प्राप्तकर्त्ता प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर

1	बोली प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत 20.00 करोड़ रू0 का 2% (40 लाख रू0)	बिड प्रतिभूति जमा राशि का पूर्ण विवरण ....
2 (i) (ii)	बोली प्रतिभूति राशि में लद्यु उद्योग संबंधित छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लद्यु उद्योग संबंधी प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति बिड के साथ है। इस प्रकार की ईकाई बिड सूचना में बताई गई अनुबन्ध राशि का आधा प्रतिशत 10.00 लाख रू0 मुद्रणालय में जमा करा दी गयी है। उद्योग विभाग से जारी लद्यु उद्योग इकाई रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संख्या .... एव दिनांक	बिड प्रतिभूति जमा राशि का पूर्ण विवरण ....
3	प्रोसेसिंग फीस (Non Refundable) (MD, RISL) के नाम देय (दो हजार पांच सौ रु. मात्र)	डी. डी. संख्या दिनाक
4	जी.एस.टी.रजिस्ट्रेशन नम्बर (प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न है।) एवं अंतिम तिमाही में प्रस्तुत जी.एस.टी. रिटर्न की सनदीलेखाकार (CA) द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न है।	जी.एस.टी. नं.
5	बोलीदाता के पैन पंजीकरण एवं कर निर्धारण वर्ष 2022–23/2023–24 की आई.टी.आर. की प्रति संलग्न है।	

6	बिड के साथ कागज के नमूने, मिल के नाम आदि विवरण सहित (मोहर सहित) भौतिक रूप से मुद्रणालय में प्रस्तुत करने हेतु संलग्न करें।	
7	कागज के बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेण्ट/वास्तविक विक्रेता का घोषणा–पत्र मय साक्ष्य प्रस्तुत है। (एस.आर. 11 के अनुसार)	
8	(अ) विगत तीन वित्तीय वर्षों (2020–21, 2021–22 एवं 2022–23) में से किसी एक वर्ष में रु. 6 करोड़ लागत के कागज आपूर्ति की समरूप संविदाओं को संतोष जनक रूप से पूर्ण करने का प्रमाण–पत्र मय अनुबंध की प्रति संलग्न करें। अथवा (ब) विगत तीन वित्तीय वर्षों (2020–21, 2021–22 एवं 2022–23) में से किसी एक वर्ष में 20 करोड़ रूपये की लागत के कागज आपूर्ति का कार्य करने के प्रमाण–पत्र (यथा कार्यादेश/कार्यानुभव प्रमाण पत्र/बिल/भुगतान विवरण इत्यादि) संलग्न करें।	
9	सनदी लेखाकार द्वारा जारी Positive Net Worth का प्रमाण पत्र संलग्न करे	
10	(अ) शर्त संख्या 8(अ) के लिए गत तीन वर्षो (2020–21, 2021–22 एवं 2022–23) में 6 करोड़ रूपये के औसत वार्षिक टर्न ओवर का प्रमाण (सनदी लेखाकार द्वारा जारी विगत 3 वर्षो के वार्षिक टर्न ओवर का प्रमाण पत्र संलग्न करें) अथवा (ब) शर्त संख्या 8(ब) के लिए गत तीन वर्षो (2020–21, 2021–22 एवं 2022–23) में 20 करोड़ रूपये के औसत वार्षिक टर्न ओवर का प्रमाण (सनदी लेखाकार द्वारा जारी विगत 3 वर्षो के वार्षिक टर्न ओवर का प्रमाण पत्र संलग्न करें)	

बोलीदाता के हस्ताक्षर व मोहर

<u>बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र</u>

मेरे / हमारे द्वारा प्रदत्त बिड संख्या.............दिनांक.....................के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत एतद् घोषणा करता हूँ कि :—

(1) यह कि मुद्रणालय को प्रस्तुत उक्त बिड्स से सम्बन्धित समस्त प्रकार की व्यवसायिक तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबन्धकीय संसाधन आदि मेरे / हमारे पास उपलब्ध हैं।

(2) यह कि मैं / हम केन्द्र और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार के देय करों की अदायगी के लिये बाध्य रहूँगा / रहेंगे।

(3) यह कि मैं / हम किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया आदि घोषित नहीं हूँ / हैं और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।

(4) यह कि विगत 3 वर्षो में मैं / हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायाफ्ता नहीं है और ना ही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण निर्योग्य किये गये है।

(5) यह कि मेरे / हमारे द्वारा बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है और मैं / हम इसकी शर्तो / नियमों से पूर्णतया सहमत हूँ / हैं, जिसको मानने के प्रमाण स्वरूप समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर अंकित कर दिये हैं।

(6) यह कि मैं / हम उक्त अधिनियम, नियम व बिड्स शर्तो से विपरीत कोई धारणा नहीं रखते हैं।

दिनांक : ....

स्थान : ....

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम..

पद..

पता...

....

मो0नं0...

प्रपत्र ''ब''

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0

जी–1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर–302017
फोन नं. 0141–2751417, 2751352

वित्तीय बिड

वर्ष 2023–24 की अवधि (अनुबंध तिथि से 31.03.2024) के लिये कागज आपूर्ति हेतु बिड प्रपत्र द्वितीय

''वित्तीय बिड''

1. बोलीदाता का नाम व पूर्ण पता...

   ....

   ....

2. मुद्रणालय को वर्ष 2023–24 की अवधि में कागज सप्लाई करने हेतु हमारी फर्म द्वारा बिड के BOQ के अनुसार दरें प्रस्तुत है।
3. सभी दरें प्रति किलो टैक्स रहित (Without Tax) अंकित है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

परिशिष्ट 'स'

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0,

जी–1/138, मालवीय औद्योगिक क्षैत्र, जयपुर

कागज क्रय हेतु बिड एवं संविदा की शर्तें

सूचना : बोलीदाता को अपनी दरें भरते समय इन शर्तों को बहुत ध्यानपूर्वक पढना चाहिए। बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढा जावें। किसी प्रकार का पुनर्लेखन नही होना चाहिए। यदि पुनर्लेखन हो तो उस पर लघुहस्ताक्षर अंकित होने चाहिए।

1. वर्ष 2023–24 की (अनुबंध तिथि से 31.03.2024 तक) अवधि के लिये मुद्रणालय को वुड/वर्जिन पल्प से निर्मित विभिन्न प्रकार के कागज क्रय हेतु विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेण्ट/वास्तविक विक्रेता से आनलाईन ई प्रोक्योरमैन्ट प्रक्रिया के तहत टू बिड पद्धति से बिड्स (तकनीकी एवं वित्तीय) हस्ताक्षरयुक्त वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दिनांक 8.5.23 को सायं 5.00 बजे तक प्रस्तुत की जायेगी (1) तकनीकी बिड प्रपत्र ''अ'' में तकनीकी एवं अन्य विवरण तथा (2) वित्तीय बिड प्रपत्र ''ब'' में दरें अंकित कर प्रस्तुत करनी होगी।
2. क्रय समिति द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी बिड दिनांक 9.5.23 को दोपहर 12.00 बजे खोला जायेगी। तकनीकी बिड मे योग्य पाये जाने पर ही वित्तीय बिड पर विचार किया जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार का वाद विवाद मान्य नहीं होगा।
3. विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. बिड केवल उन्हीं फर्मों/व्यापारियों द्वारा दी जानी चाहिये, जो निर्माता हो अथवा संबंधित सामग्री के लिए रजिस्टर्ड/अनुमोदित वितरक या वास्तविक विक्रेता हो, जिसके लिए बिड दी गई है।
5. आपूर्ति किये जाने वाला कागज भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार (यथा संशोधित) एवं अनुमोदित स्टेण्डर्ड सैम्पल से मिलता हुआ सर्वोत्तम किस्म का होगा, अन्यथा स्वीकार नही किया जायेगा। तकनीकी बिड के साथ संलग्न कागज के नमूनों पर कागज निर्माता मिल का नाम व ग्रामेज का अंकन कर फर्म की मोहर व हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना होगा।
6. फर्म आवंटित आदेश को किसी अन्य ऐजेन्सी को सबलेट नही करेगा।
7. संस्था को माल के निरीक्षण करने तथा <u>गुणवत्ता/मेक</u> आदि के बारे में जांच करने का अधिकार होगा।
8. बोलीदाता को अपने कार्यालय, गोदाम व कार्यशाला का पूर्ण पता मुद्रणालय को देना होगा, ताकि संस्था द्वारा निरीक्षण किया जा सके तथा साथ ही उस व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता भी देना चाहिये, जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
9. सफल बोलीदाता जिनका कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला जयपुर में स्थित नही उनको अनुबंध निष्पादन तिथि से एक माह की तिथि/निर्देशित समय में कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला स्थापित कर पुर्ण पता देना होगा, जहां जाकर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा उस व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता भी देना होगा, जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
10. यदि अनुमोदित गुणवत्ता, मेक या आकार से भिन्न माल सप्लाई किया जाता है तो वह अस्वीकार कर दिया जावेगा तथा उसे बिना अतिरिक्त मूल्य एवं प्रभार के एक निश्चित अवधि के भीतर बिडर द्वारा बदलना होगा। आपूर्ति से संबंधित किसी भी शिकायत पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।
11. सभी दरें एफ. ओ. आर. मुद्रणालय परिसर मालवीय औद्योगिक क्षैत्र, जयपुर होगी, जिसके लिए कोई कार्टेज व अन्य किसी प्रकार का व्यय देय नहीं होगा।
12. बिड देने वाली फर्म जिसकी निविदा स्वीकृत की जाती है, आदेश में अंकित समय की अवधि में माल आपूरित करने के लिए बाध्य होगी।
13. कागज वर्ष भर में समय–समय पर मुद्रणालय की आवश्यकतानुसार क्रय किया जावेगा।

14. आपूर्ति का आदेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
15. बिड में कोई भी अभिवृद्धि (एडीशन) एवं परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
16. बोलीदाता को बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ व अन्त में बिड एवं अनुबन्ध की समस्त शर्तों को मानने के प्रमाण में हस्ताक्षर करने होगे जो कि अनुबंध का भाग होगा।
17. *तकनीकी एवं वित्तीय बिड अपलोड करते समय नियमानुसार दो प्रतिशत या लघु उद्योग इकाई के मामले में आधा प्रतिशत राशि बोली प्रतिभूति राशि के रूप में बिड के साथ बिड प्रपत्र में अंकितानुसार डीडी/बैंकर्स चैक/नकद/किसी अनुसूचित बैंक की गारन्टी, से जोकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 42 में वर्णित हैं, द्वारा ''राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर'' के पक्ष में जमा करानी होगी। जिन निविदादाताओं द्वारा बोली प्रतिभूति पूर्व निविदा (वर्ष 2023–24) के साथ जमा करवाई जा चुकी है उनकी बोली प्रतिभूति राशि का समायोजन इस निविदा में कर लिया जावेगा। अपनी बिड के साथ बोली प्रतिभूति राशि इसके बिना बिड पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। जिस फर्म की बिड स्वीकार नहीं होगी, उन्हें यह बोली प्रतिभूति राशि बिड की अंतिम स्वीकृति होने के एक माह में लौटा दी जावेगी एवं जिन बोलीदाताओं की निविदा स्वीकार की जावेगी उनके मामले में इस राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी) के रूप में समायोजन किया जावेगा।*
18. पूर्व में मुद्रणालय में जमा बोली प्रतिभूति/सिक्यूरिटी राशि का बिड के साथ नियमानुसार जमा कराई जाने वाली राशि में समायोजन नहीं होगा।
19. सफल बोलीदाता को निर्धारित प्रपत्र में एक अनुबन्ध करना होगा तथा संविदा की शर्तो को भली प्रकार से निभाने के लिए कार्य नियमानुसार निविदा राशि का 2.5 प्रतिशत या तत्समय लागू दर के अनुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को नियमानुसार 0.5 प्रतिशत कार्य सम्पादन राशि या तत्समय लागू दर के अनुसार जमा करानी होगी। संविदा का कार्य पूर्ण होने की तारीख से दो माह के बाद अनुबंध की सवीक्षां उपरान्त सिक्यूरिटी राशि लौटा दी जावेगी। ऐसी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर मुद्रणालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अनुबन्ध को पूरा करने एवं उस पर स्टाम्प आदि का जो व्यय होगा वह बोलीदाता फर्म को वहन करना पडेगा। क्रयकर्ता अधिकारी को निःशुल्क अनुबन्ध की एक स्टाम्प लगी हुई मूल प्रति दी जावेगी। निर्धारित अवधि में अनुबंध नहीं करने पर फर्म द्वारा जमा करायी गयी बिड प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी एवं अगले न्यूनतम निविदादाता के पक्ष में बोली स्वीकार कर ली जायेगी। अनुबन्ध के अभाव में बिड निरस्त कर दी जावेगी।
20. फर्म को भुगतान करने में (राशि के प्रेषण) जो भी अतिरिक्त व्यय होगा वह अनुमोदित फर्म द्वारा वहन किया जावेगा।
21. यदि अनुमोदित वितरक निर्धारित विशिष्ट विवरण के अनुसार माल सप्लाई करने में असफल हो जाता है या निर्दिष्ट अवधि के भीतर सामग्री आपूरित करने में असफल रह जाता है तो मुद्रणालय अन्य प्रकार से व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा तथा जिसमें होने वाली रिस्क कॉस्ट की वसूली बोलीदाता फर्म से की जावेगी।

मुद्रणालय अनुमोदित बिडर को सप्लाई नहीं किये गये या अनापुरित सामग्री या आपूरित सामग्री में शिकायत की स्थिति में लिखित में सात दिवस का नोटिस दे सकता है एवं बाद में उस नोटिस की तामील होने की तारीख से सात दिवस के भीतर यदि अनुमोदित बिडर पालना करने में असफल रहता है, तो ऐसे मामलों में यदि मुद्रणालय उचित समझता है तो उसके लिए उस सुरक्षित धन राशि को रोकना न्यायोचित होगा एवं वह जो भी सामान जो अनुमोदित वितरक के प्रति बकाया होगा उसे खरीदने के लिए अन्य व्यवस्था कर सकेगा तथा जो भी किसी अन्य अधिकरण के जरिये माल के वितरण करने की व्यवस्था करने में मुद्रणालय द्वारा अधिक व्यय वहन करना पडेगा, वह उसकी सिक्यूरिटी राशि में से पूरा किया जावेगा।

22. बिड की वैधता अवधि बिड प्रस्तुत करने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी।

23. अनुबंधित फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये कागज की जाँच मुद्रणालय करवाने के लिए स्वतन्त्र होगा। जाँच रिपोर्ट में निर्धारित मापदंड के अनुसार कागज नहीं पाये जाने की स्थिति में जाँच हेतु किये गये समस्त व्यय अनुबंधित फर्म से वसूली योग्य होगें तथा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कागज की सप्लाई नहीं करने के कारण मुद्रणालय को हुए समस्त नुकसान की भरपाई अनुबंधित फर्म से वसूली योग्य होगी ।

24. मुद्रणालय द्वारा आवश्यक समझे जाने पर निविदा में प्राप्त न्यूनतम दरों पर अन्य सफल निविदादाताओं से न्यूनतम दरों पर कागज आपूर्ति करने की सहमति लेकर उनको अनुमोदित किया जा सकेगा।

25. (i). सामग्री / माल निश्चित किये गये गोदाम पर अच्छी दशा में सम्भलवाया जायेगा। यदि अनुमोदित फर्म चाहती हो तो माल की चोरी होने, आग, बाढ एवं समय लगने के कारण खराब होने से या अन्य प्रकार से हानि होने से बचने के लिए माल का बीमा करा सकता है जिसका व्यय स्वयं फर्म को वहन करना पडेगा।

(ii) सामग्री का भुगतान बिल प्राप्ति के एक माह में किया जावेगा। विवादास्पद सामग्री के मामले में निपटारा होने

पर बिल का भुगतान किया जावेगा।

(iii) बोलीकर्ता या उसके प्रतिनिधियों की ओर से प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से बिड स्वीकृत करने के लिए प्रयास करने को अयोग्यता माना जावेगा।

26. मुद्रणालय किसी भी बिड को स्वीकृत करने / अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम बिड को ही स्वीकार करे। न्यूनतम दरदाता से वार्ता करने का उपापन संस्था को नियमानुसार पूर्ण अधिकार होगा। वह किसी भी बिड / बिड के किसी भाग को उसका कारण बतलाये बिना रद्द कर सकता है।

27. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म के लिए बिक्री कर (जी.एस.टी.) रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र एवं अंतिम तिमाही की जी.एस.टी. रिर्टन की सनदीलेखाकार द्वारा प्रमाणित प्रति बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

28. बोलीदाता द्वारा विलम्ब से कागज आपूर्ति करने पर संस्था को नियमानुसार शास्ति लगाने का पूर्ण अधिकार होगा जिसकी कटौती बोलीदाता फर्म के पूर्व में प्रेषित बिलों में से अथवा सिक्यूरिटी राशि में से काटकर समायोजित कर ली जावेगी।

29. फर्म को पंजीकृत प्रमाण–पत्र एवं मालिक / साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण प्रपत्र एस.आर. 11 में प्रतिष्ठान / कम्पनी के लेटर हेड पर प्रस्तुत करना होगा। प्रारूप निम्नानुसार हैः–

एस.आर प्रारूप – 11

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं / हम / घोषणा करता हूँ / करते हैं कि मैंने / हमने जिन मालों / सामानों / उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका / उनके / मैं / हम बोनाफाइड विनिर्माता / थोक विक्रेता / सोल वितरक / प्राधिकृत डीलर / डीलर / सोल विक्रय / विपणन एजेण्ट / वास्तविक विक्रेता हूँ / हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी / हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जप्त कर किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

30. भुगतान योग्य बिलों पर नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जायेगा।
31. दरों में जी.एस.टी. (टैक्स) पृथक से अंकित किया जाये।
32. मुद्रणालय को आवश्यकता होने पर ही कागज का क्रय किया जायेगा।
33. सिक्यूरिटी बोण्ड पेपर मुद्रणालय द्वारा निर्धारित वाटरमार्क पर निर्मित किया जाना होगा।
34. Bidders who wish to participate in online tenders should have legally valid Digital Certificate as per Information Technology Act 2000 procured through any of the licence certifying Authority of India using which they can sign their electronic bids.
35. बोलीदाताओं से उत्पन्न होने वाली सभी विवादों एवं अनुबंध के निर्वचन से सम्बन्धित सभी विवादों के निपटारे के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के तहत उपापन से सम्बन्धित विवादास्पद प्रकरण के सम्बन्ध में अपील की सुनवाई का अधिकार प्रथम अपील प्राधिकारी मुद्रणालय के प्रशासक/संचालक मंडल एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर में निहित है।
36. बिड्स अनुबन्ध की वैधता अनुबन्ध होने की तिथि से 31.03.2024 तक के लिये मान्य होगी। इसे आवश्यकता पड़ने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के तहत आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा। मुद्रणालय प्रशासन को अनुबंध अवधि से पूर्व अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी भी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
37. अनुबंधकर्ता बिडर को आयकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
38. दरों में शब्दों एवं अंको में अंतर होने पर शब्दो वाली दर सही मानी जावेगी।
39. बोलीदाता/फर्म को पहचान हेतु फोटो युक्त आई डी प्रूफ प्रस्तुत करना है।
40. दोनों बिड्स (तकनीकी एवं वित्तीय) वेबसाईट eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जानी है। बिड्स प्रपत्र (टू बिड) एवं शर्तें इस मुद्रणालय की वेबसाईट www.thecooperativepress.com तथा eproc.rajasthan.gov.in व sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। तकनीकी बिड्स के साथ ही बिड्स प्रपत्र की राशि 1000/- प्रोसेसिंग फीस 2500/- व बोली प्रतिभूति राशि का DD Scan Copy अपलोड करने एवं मूल डीडी मुद्रणालय में जमा कराने पर ही तकनीकी बिड्स में हिस्सा लिया जा सकता है।
41. किसी भी निविदत्त मिल विशेष का कागज/सामग्री क्रय करने हेतु मुद्रणालय बाध्य नहीं होगा।
42. *आदेशित सामान की आपूर्ति विहित समय पर नहीं करने पर निम्नानुसार **Penatly** लगाई जावेगी:-*

(क) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए;	*2.5%*
(ख) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनाधिक के विलम्ब के लिए;	*5%*
(ग) विहित परिदान अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनाधिक के विलम्ब के लिए;	*7.5%*
(घ) विहित परिदान अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए;	*10%*

43. सशर्त बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।
44. मुद्रणालय को राजस्थान लोकउपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवं नियम 2013 मे दर्शाये गये नियमों के उलंघन करने पर नियमानुसार कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
45. बोलीदाता या बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि को समस्त बोली दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करना होगा एवं अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बोली प्रस्तुत करने की स्थिति में उनके पक्ष में बोलीदाता द्वारा जारी अधिकृति पत्र बिड के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा बिड पर विचार नही किया जावेगा।
46. मूल प्रपत्र, अमानत राशि तथा प्रोसेसिंग शुल्क एवं निविदा शुल्क के मूल ड्राफ्ट दिनांक 9.5.2023 को प्रातः 11.00 बजे तक मुद्रणालय में प्रस्तुत करने का दायित्व निविदादाता का होगा।
47. किसी न्यायिक विवाद की दशा में न्यायाधिकार क्षेत्र जयपुर शहर स्थित न्यायालय में होगा।
48. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं अन्य सभी विधिक संगत प्रावधान लागू होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

हमने उक्त बिड्स की शर्ते पूर्ण रूप से पढ़ली हैं तथा हम उक्त सभी शर्तों को मानने के लिए बाध्य होंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता फर्म मय मोहर